बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या–02 / टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 3481 पटना, दिनांक– 05.07.17

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–15 की उप–धारा (1) एवं धारा–23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी निबंधित / अनिबंधित व्यवसायिक / मालवाहक वाहन तथा कृषि / व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत के प्रभाव से प्रदान करती है :–

(i) कर–प्रमादी निबंधित / अनिबंधित ट्रैक्टर–ट्रेलर, जो कृषि / व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में एकमुश्त राशि 25,000 / – (पच्चीस हजार) रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर / अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित / विनियमित कर दिया जायेगा;

(ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित / अनिबंधित व्यवसायिक / मालवाहक वाहन, जो कर–प्रमादी हो गये हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में, बकाया कर के अतिरिक्त 25% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित / विनियमित कर दिया जायेगा;

(iii) इस सर्वक्षमा (Amnesty) योजना का लाभ नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा;

वैसे वाहन स्वामियों को, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेगें, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / –
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02 / टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0 / –
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02 / टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, विधि विभाग / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02 / टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 3481 पटना, दिनांक– 05.07.17.

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) / सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0..2481   पटना, दिनांक–..05.07.17

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–15 की उप–धारा (1) एवं धारा–23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत के प्रभाव से प्रदान करती है :–

(i) कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर–ट्रेलर, जो कृषि/व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में एकमुश्त राशि 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन, जो कर–प्रमादी हो गये हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में, बकाया कर के अतिरिक्त 25% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(iii) इस सर्वक्षमा (Amnesty) योजना का लाभ नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा;

वैसे वाहन स्वामियों को, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेगें, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0............,   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0............,   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0..2481   पटना, दिनांक– 05.07.17

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) /सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7

सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0..3481 पटना, दिनांक–05.07.17

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–15 की उप–धारा (1) एवं धारा–23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत के प्रभाव से प्रदान करती है :–

(i) कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर–ट्रेलर, जो कृषि/व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में एकमुश्त राशि 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन, जो कर–प्रमादी हो गये हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में, बकाया कर के अतिरिक्त 25% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(iii) इस सर्वक्षमा (Amnesty) योजना का लाभ नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा;

वैसे वाहन स्वामियों को, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेगें, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0............. पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0............. पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0..3481 पटना, दिनांक– 05.07.17.

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) /सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7

सुजाता चतुर्वेदी
सरकार के प्रधान सचिव,